न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 01/2022 (2022/7)

अपीलान्ट्स :–

1. जोधसिंह पुत्र मुन्नीलाल के कायम मुकाम :–
1/1. हंसराजसिंह पुत्र स्व0 जोधसिंह
1/2. विजयसिंह पुत्र स्व0 जोधसिंह
1/3. कैलाशकंवर पुत्री स्व0 जोधसिंह
1/4. रेखाकंवर पुत्री स्व0 जोधसिंह
1/5. कान्तादेवी पत्नी स्व0 जोधसिंह
2. भोपसिंह पुत्र भगवानसिंह
जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. उषाकंवर पुत्री गणेशसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी निम्बला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. कमलाकंवर पुत्री गणेशसिंह पत्नी गणेशसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. पप्पुकंवर पुत्री गणेशसिंह पत्नी अखेराजसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम सुराणी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
4. भंवरीकंवर पुत्री गणेशसिंह पत्नी राजूसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. प्रतापसिंह पुत्र गणेशसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र गणेशसिंह
7. मुकनसिंह पुत्र गणेशसिंह
जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. राधा पुत्री गणेशसिंह पत्नी अखेराजसिंह राजपुरोहित, निवासी आसंदा मण्डोर, जोधपुर।
9. लिछमणसिंह पुत्र मुन्नीलाल
10. मूलसिंह पुत्र मुन्नीलाल
11. अमरसिंह पुत्र मुन्नीलाल
जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
12. इमरतीकंवर पत्नी भगवानसिंह राजपुरोहित, निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
13. कवितादेवी पुत्री भगवानसिंह पत्नी स्वरूपसिंह राजपुरोहित, निवासी कानोडिया, तहसील बालेसर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

14. बनेसिंह पुत्र भगवानसिंह राजपुरोहित, निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
15. शांति पुत्री भगवानसिंह पत्नी बाबूसिंह राजपुरोहित, निवासी तिबानीया, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
16. हरीसिंह पुत्र भगवानसिंह राजपुरोहित निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2019 जो तहसीलदार लूणी द्वारा मुकदमा क्रमांक भू.रा./बंटवाड़ा/2019/41 में पारित करते हुए गांव सालावास, श्री राजेश्वरनगर व सेवालानगर की संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन आदेश पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीपक्ष मय अधिवक्ता अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित उपस्थित (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 10)।
3. अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार उपस्थित (प्रत्यर्थी संख्या 11 से 16)।
4. प्रत्यर्थी संख्या 05 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 06.07.2023

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बंटवाड़ा आदेश दिनांक 24.06.2019 जो तहसीलदार लूणी द्वारा मुकदमा क्रमांक भू.रा./बंटवाड़ा/2019/41 में पारित करते हुए गांव सालावास, श्री राजेश्वरनगर व सेवालानगर की संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन आदेश पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

अपील प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब करने पर मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित तथा प्रत्यर्थी संख्या 11 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश पंवार ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 05 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अपीलार्थीगण को दिनांक 05.07.2023 को न्यायालय समय में आवाजें दिलवाई गई आवाजें दिलवाने के उपरान्त भी अपीलार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की प्रकरण में बहस दिनांक 05.07.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण की अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने भूमि के सहखातेदार स्व0 भगवानसिंह व अपीलार्थी संख्या 01 जोधसिंह को बिना कुछ बताए बंटवाड़ा आदेश पर अंगुष्ठ निशान करवाये एवं तहसीलदार के समक्ष उन्हें बुलाए बिना ही बंटवाड़ानामा बनाकर पेश कर दिया तथा तहसीलदार ने उस पर बंटवाड़ा आदेश की स्वीकृति दे दी जबकि स्व0 भगवानसिंह कभी लूणी तहसील गए ही नहीं। तहसीलदार ने गांव सालावास में स्थित संयुक्त खाते की भूमि में से सहखातेदार भगवानसिंह का नाम हटा दिया तथा इसके विपरीत गांव सालावास की जमीन के अन्य सहखातेदार को गांव सालावास में उनके हिस्से से अधिक भूमि बंट में दे दी। स्व0 भगवानसिंह को गांव श्रीराजेश्वरनगर व सेवालानगर में उनके हिस्से से अधिक भूमि दे दी जबकि सालावास की भूमि बहुत कीमती है जहां सह खातेदार भगवानसिंह का कोई हिस्सा नहीं रखा गया तथा अपीलार्थी जोधसिंह को गांव श्रीराजेश्वरनगर में खसरा नं0 121 व 122 में हिस्सा दिया गया वह एक जगह नहीं देकर दो अलग–अलग जगह दिया गया जबकि अन्य सह खातेदारों को एक चक में व मुख्य रास्ते पर जमीन दी गई। सहखातेदार भगवानसिंह वर्ष 2020 में फौत हो गए तो गांव श्री राजेश्वरनगर व सेवालानगर में उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण वर्ष 2021 में उनके वारिसों के नाम स्वीकार कर दिया गया। वर्ष 2021 में कोविड का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात माह अक्टुबर 2021 में गांव सालावास में स्व0 भगवानसिंह के हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण करवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो उन्होनें जमाबन्दी देखकर बताया कि सालावास की वर्तमान जमाबन्दी में भगवानसिंह का नाम ही नहीं है इसका कारण पूछने पर पटवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में बंटवाड़ा के अनुसार भगवानसिंह का नाम हटा दिया गया तब अपीलार्थी ने बंटवाड़ा आदेश की नकल हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया परन्तु बंटवाड़े की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 02.12.2021 को पटवारी कांकाणी ने स्वयं के मोबाइल से बंटवाड़े की फोटो का प्रिंट निकालकर प्रार्थी को दी तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपील पेश की। अपील मीमों के अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 तथा 6 से 10 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने स्वयं स्वीकार किया है बंटवाड़े पर जो अंगुष्ठ के निशान है वह स्वयं उनके संख्या 1/1 से 1/5 के पिता व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

पति जोधसिंह व अपीलार्थी संख्या 02 भोपसिंह के पिता स्व0 भगवानसिंह के है। भगवानसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त बंटवाड़े को चुनौती नहीं दी क्योंकि स्व0 भगवानसिंह तथा स्व0 जोधसिंह स्वयं तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपीलाधीन बंटवाड़ा आदेश पर अंगुष्ठ के निशान किए। अतः अपीलार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जो अपील पेश की गई है वह निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

प्रत्यर्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि जिस सहखातेदार का जिस आराजी पर कब्जा काश्त था उसी अनुसार सर्वसहमति से बंटवाड़ा कर उक्त जमीन उस खातेदार को बंट में दी गई। सभी सहखातेदारों ने सहमति बंटवाड़ा पटवारी के समक्ष पेश किया जिसकी पहचान पटवारी (भू0अ0) कांकाणी ने की तथा उसके बाद उसे तहसीलदार (भू0अ0) लूणी द्वारा प्रमाणित किया गया। बहस के अन्त में अपीलार्थीगण की अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थीपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी संख्या 02 के पिता स्व0 भगवानसिंह के वर्ष 2020 में फौत होने पर गांव श्री राजेश्वरनगर व सेवालानगर में उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण वर्ष 2021 में उनके वारिसानों के नाम स्वीकृत करवा लिया गया तथा अक्टूबर 2021 में स्व0 भगवानसिंह के ग्राम सालावास के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण करवाने के लिए पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवारी ने वर्तमान जमाबन्दी देखकर बताया कि सालावास की आराजी में भगवानसिंह का नाम ही नहीं है इसका कारण पूछने पर पटवारी ने बताया कि वर्ष 2019 के बंटवाड़े के अनुसार भगवानसिंह का नाम हटा दिया गया तब अपीलार्थी ने विभाजन आदेश की नकल हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया परन्तु बंटवाड़े की मूल का पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 02.12.2021 को पटवारी कांकाणी ने स्वयं के मोबाइल में जो बंटवाड़े की फोटो थी वह अपीलार्थी को फोन पर भेजी तत्पश्चात् उसका प्रिंट निकलवाया तथा अपीलार्थी ने अपील पेश की पेश की। इस प्रकार अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 02.12.2021 को होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

हुई देरी का रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है।

प्रथमतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलाधीन बंटवाड़े पर अपीलार्थी संख्या 1/1 से 1/5 के पति व पिता स्व0 जोधसिंह व अपीलार्थी संख्या 2 के पिता स्व0 भगवानसिंह के साथ–साथ सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ के निशान है। स्व0 भगवानसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाधीन बंटवाड़े को कभी चुनौती नहीं दी गई। द्वितीयतः पत्रावली पर उपलब्ध मूल आपसी सहमति बंटवाड़ा का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त बंटवाड़ा तहसीलदार के समक्ष सभी सह खातेदारों की उपस्थिति में पेश किया गया है। मूल बंटवाड़ा आदेश के साथ नक्शा भी सलंग्न है जिसमें सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ है तथा जिसकी पहचान पटवारी (भू0अ0) कांकाणी तहसील लूणी ने की तथा उसके बाद उसे तहसीलदार (भू0अ0) लूणी द्वारा प्रमाणित किया गया। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में यह भी कथन किया कि स्व0 जोधसिंह व स्व0 भगवानसिंह तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, यह तथ्य मानने योग्य नहीं है क्योंकि सभी सह खोतदारों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा पेश किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:46 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।